राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यकारी प्राधिकार है, जो न्यायपालिका से अलग है और अनुग्रह और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित है, तथा न्याय और दया के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है।

इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं:

- संभावित न्यायिक त्रुटियों को सुधारना।
- अत्यधिक कठोर दंड से राहत प्रदान करना।

संवैधानिक प्रावधान

i) अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति को निम्नलिखित के लिए क्षमा, प्रलंबन, राहत, छूट, निलंबन या लघुकरण प्रदान करने का अधिकार देता है:

a) सैन्य न्यायालय के मामलों में दंड।

b) संघीय कानून के अंतर्गत अपराध।

c) मृत्युदंड।

ii) अनुच्छेद 161 - राज्यपाल को समान शक्ति प्रदान करता है, लेकिन यह राज्य के कानूनों तक सीमित है, और केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मृत्युदंड तक विस्तारित नहीं है।

क्षमादान के प्रकार

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को निम्नलिखित प्रकार की क्षमादान प्रदान करने का अधिकार देता है:

1. **क्षमादान** - दोषसिद्धि और सज़ा को पूरी तरह से रद्द कर देता है, दोषी को सभी कानूनी दंडों, सज़ाओं और अयोग्यताओं से मुक्त कर देता है। यह व्यक्ति की कानूनी स्थिति और अधिकारों को पुनर्स्थापित करता है।
2. **लघुकरण** - कठोर सज़ा को हल्के दंड से बदल देता है (जैसे, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना)। यह सज़ा को संशोधित करता है, लेकिन दोषसिद्धि को रद्द नहीं करता।
3. **परिहार** - सज़ा की अवधि को कम करता है, जबकि उसका मूल स्वरूप बरकरार रहता है।
4. **राहत** - मूल रूप से दी गई सज़ा से कम सज़ा प्रदान करता है, आमतौर पर विशिष्ट परिस्थितियों (जैसे, स्वास्थ्य, गर्भावस्था) के कारण।
5. **प्रतिविलंब** - किसी सज़ा, विशेष रूप से मृत्युदंड, का अस्थायी निलंबन, ताकि दोषी को क्षमा या लघुकरण की मांग करने का समय मिल सके।

राज्यपाल की शक्ति से भेद

	राष्ट्र-पति	राज्यपाल
आधार	अनुच्छेद 72	अनुच्छेद 161
मृत्युदंड	मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है	मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता (केवल निलंबित, क्षमा या लघुकरण कर सकता है)।
कोर्ट-मार्शल मामले	क्षमा करने की शक्ति	ऐसी कोई शक्ति नहीं है
अधिकार क्षेत्र	संघीय कानूनों के अंतर्गत अपराधों और उन मामलों को शामिल करता है जहाँ संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तारित होती है	राज्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों और उन मामलों को शामिल करता है जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है
बाध्यकारी सलाह	संघीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर शक्ति का प्रयोग करता है (अनुच्छेद 74)	राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर शक्ति का प्रयोग करता है (अनुच्छेद 163)

दया याचिकाओं और संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

• **मृत्युदंड केवल "दुर्लभतम" मामलों में:** बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) - मृत्युदंड संवैधानिक है, लेकिन परिस्थितियों को कम करने के लिए इसे संयम से लागू किया जाना चाहिए।

• **क्षमादान की शक्ति कार्यकारी है, लेकिन व्यक्तिगत विवेक पर आधारित नहीं:** मारू राम बनाम भारत संघ (1981) - राष्ट्रपति/राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।

• **राष्ट्रपति मामले के गुण-दोष का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं:** केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) - राष्ट्रपति न्यायिक समीक्षा समाप्त होने के बाद भी गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं; हालाँकि, मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

• **दया की शक्ति की न्यायिक समीक्षा सीमित है, लेकिन उपलब्ध है:** एपु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006) - यदि क्षमादान मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक विचारों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

• **अत्यधिक विलंब या अमानवीय व्यवहार मृत्युदंड को असंवैधानिक बनाता है:** शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) - दया याचिकाओं पर निर्णय में लंबा विलंब, या मानसिक बीमारी/एकांत कारावास जैसे कारक, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का औचित्य सिद्ध करते हैं।

• **सजा माफी में संघीय संतुलन: भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015)** - राज्य सीबीआई द्वारा या संघीय कानून के तहत जाँचे गए मामलों में केंद्र की सहमति के बिना सजा माफी का प्रयोग नहीं कर सकते।

• **मनमानी के विरुद्ध मानवीय सुरक्षा उपाय: विभिन्न मामलों में,** न्यायालयों ने दया याचिकाओं के निपटान में निष्पक्षता, समानता, गैर-भेदभाव और करुणा पर ज़ोर दिया।

• **मृत्युदंड उन्मूलन पर विकसित दृष्टिकोण: विधि आयोग की रिपोर्ट (262वीं, 2015)** - मनमानी और अप्रभावीता का हवाला देते हुए, आतंकवाद और युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़कर मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की।

• **दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है** - त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य (1989) - विलंब को सजा में परिवर्तन का आधार माना गया।

H-1B Visa: Overview, Recent Policy Changes, and Implications

H-1B वीज़ा क्या है?

- H-1B वीज़ा एक गैर-आप्रवासी (अस्थायी) कार्य वीज़ा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो "विशिष्ट व्यवसायों" में काम करना चाहते हैं।

"विशिष्ट व्यवसाय" से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जहाँ:

- नौकरी के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा या अनुसंधान;
- आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री (या समकक्ष अनुभव) हो;
- नियोक्ता यह दर्शाता है कि कर्मचारी को प्रचलित वेतन का भुगतान किया जा रहा है, अर्थात, उसी क्षेत्र या उद्योग में समान कार्य के लिए सामान्य वेतन से कम नहीं।

लागू प्रक्रिया और सीमाएँ

- जारी किए गए नए H-1B वीज़ा की संख्या पर एक निर्धारित वार्षिक सीमा है। आवेदन किसी अमेरिकी नियोक्ता द्वारा दायर किया जाना चाहिए। यदि आवेदन निर्धारित कोटे से अधिक होते हैं, तो लाभार्थियों के चयन के लिए लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- वीज़ा शुरू में तीन साल के लिए वैध होता है, जिसे एक बार बढ़ाकर लगभग छह साल किया जा सकता है। कुछ असाधारण परिस्थितियों में इसे और बढ़ाया जा सकता है।

हालिया नीतिगत बदलाव (ट्रम्प प्रशासन 2025 अपडेट)

1. **नया वार्षिक शुल्क:** एक घोषणा में अमेरिका के बाहर के लाभार्थियों के लिए दायर की गई नई H-1B आवेदनों पर $100,000 का शुल्क लगाया गया है।
2. **प्रयोज्यता:** केवल नए आवेदकों पर लागू। अमेरिका लौटने वाले मौजूदा H-1B धारक इससे प्रभावित नहीं होंगे।
3. कम भुगतान को रोकने के लिए प्रचलित वेतन मानदंडों का कड़ाई से पालन। अमेरिका के बाहर के H-1B धारकों को यात्रा और पुनः प्रवेश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है यदि उनकी याचिकाएँ नए नियमों का पालन नहीं करती हैं।

भारत / भारतीय पेशेवरों / कंपनियों पर संभावित प्रभाव

क्षेत्र / क्षेत्र	संभावित प्रभाव
भारतीय आईटी उद्योग	बड़ी कंपनियों को अमेरिका में कर्मचारियों को भेजने के लिए ज़्यादा लागत का सामना करना पड़ सकता है; "ऑनसाइट रोटेशन" कम हो सकता है।
प्रारंभिक करियर पेशेवर	कम वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए H-1B अप्राप्य हो सकता है; कंपनियाँ अनुभवी/उच्च वेतन वाली प्रतिभाओं को प्राथमिकता दे सकती हैं।

क्षेत्र / क्षेत्र	संभावित प्रभाव
अमेरिकी कंपनियाँ	बढ़ी हुई लागत भारतीय ठेकेदारों पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करने को प्रोत्साहित कर सकती है।
आव्रजन / कानूनी तनाव	भारत सरकार ने मानवीय चिंताओं को उजागर किया है; उद्योग समूह या कानूनी विशेषज्ञ इस नीति को चुनौती दे सकते हैं।

चीन का K वीज़ा: वैश्विक STEM प्रतिभाओं को आकर्षित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम

- चीन ने K वीज़ा की एक नई श्रेणी शुरू की है जो शीर्ष-स्तरीय वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करके अपने नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देने के अपने व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। यह कदम विशेष रूप से समयोचित है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर $100,000 का शुल्क लगाया है, जो संभावित रूप से कुशल पेशेवरों को अमेरिका में अवसरों की तलाश करने से रोक रहा है।
- **लॉन्च तिथि:** 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी।
- **लक्षित दर्शक:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों के युवा पेशेवर।

मुख्य विशेषताएँ:

- नियोक्ता प्रायोजन की आवश्यकता नहीं।
- एकाधिक प्रविष्टियाँ और विस्तारित वैधता अवधि।
- शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और उद्यमशीलता गतिविधियों में भागीदारी की अनुमति देता है।
- मौजूदा वीज़ा प्रकारों की तुलना में लचीलेपन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया।

भारतीय पेशेवरों के लिए निहितार्थ

- **आकर्षक विकल्प:** K वीज़ा भारतीय STEM पेशेवरों को अमेरिकी H-1B वीज़ा का एक विकल्प प्रदान करता है, खासकर हाल ही में शुल्क वृद्धि के मद्देनजर।
- **बढ़ी हुई गतिशीलता:** नियोक्ता के प्रायोजन की आवश्यकता न होने के कारण, पेशेवरों के पास चीन भर में अवसरों का पता लगाने के लिए अधिक लचीलापन है।
- **रणनीतिक स्थिति:** नवाचार और अनुसंधान पर चीन का ज़ोर विभिन्न STEM क्षेत्रों में सहयोग और विकास के अवसर प्रदान करता है।